

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....memo.....

Dated...08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN



In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.018** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwar** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.018** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated 08/03/19

Signature

District Collector 
Seal 

(Full name and official seal of the District Collector)

4

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO. memo

Dated 08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.018** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwar.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.018** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhitarkot (Thakala) Village (s) is enclosed as annexure..... (Garud)
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

(2) 08/08/19
जिलाधिकारी
District Collector
Bageshwar

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील का नाम गरुड, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.018 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 0.018 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भितारकोट द्वारा दिनांक 15-8-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भितारकोट के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ह0/ ग्राम पंचायत थाकला

पो0-वन्तोली

ग्राम प्रधान
वि0ख0-गरुड (बागेश्वर)

आनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 15-08-2018 को

जनपद बागेश्वर के

ग्राम भिरकोट

ब्लॉक गरुड में

टारकोट से पार - जलियर इन्टर स्कूल को पैदल सेतु निर्माण कार्य किये जाने हेतु ग्रामवासियों के साथ वार्ता बैठक आयोजित की गई। उक्त कार्य से किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है, साथ ही ग्रामवासियों का यह मानना है कि निर्माण कार्य से गाँव का विकास होगा एवं गाँव वालों को सुविधा मिलेगी।

उपरोक्त निर्माणकार्य होने के दौरान कार्य करने वाली लेबर को किराये का मकान दे दिया जायेगा एवं लेबर द्वारा पानी, दुकान एवं अन्य उपयोग में लाई जानी वाली सामग्री/सार्वजनिक चीजें उपयोग करने में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र० सं०	गाँवकानाम	गाँववासीकानाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
01	भिरकोट	सुवन चन्द्र सिंह	9756944120	
02	"	श्रीधर उन्	9759861342	
03	"	रमेश चन्द्र	983009658	रमेश काण्डणल
04	"	मदन मोहन सली	7351078955	मदन मोहन
05	"	जगदीश सिंह	9627468409	जगदीश सिंह
06	थाकला	गोविन्द वल्लभ	7351094846	गोविन्द वल्लभ
07	"	हिरा वल्लभ मिश्र	8445270667	हिरा वल्लभ
08	भिरकोट	विनोद सिंह	9639779539	विनोद सिंह
09	"	विश्व सिंह	9837586483	विश्व सिंह
10	धिरलोली	रमेश नाथ		रमेश नाथ
"	हरबागड	नारायण नाथ	7248644114	नारायण नाथ

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड लो० मि
बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत थोकला
पो०-बन्तोली
बि०ख०-गरुड (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत हरबागड
बि०ख० गरुड (बागेश्वर)

क्र० सं०	गाँवकानाम	गाँववासीकानाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
01	सुन्दर गिरी	सुन्दर गिरी	9750437040	
02	मधन नाथ	मधन नाथ	9927721761	
03	कोहिना	मंगल नाथ	0057146516	मंगल नाथ
04	कोहिना	रमा देवी	9719732647	रमा देवी
05	भिलारकोट	जेमवल्लभ मंगल	0954552750	जेमवल्लभ
06	थाकला	हरिश्चन्द्र	0954325060	हरिश्चन्द्र
07	देवकी देवी	देवकी देवी	9037403756	
08	धिरलोली	कमल नाथ		कमल नाथ
09	भिलारकोट	हरन सिंह	9756732701	
10	सिमपुर	देवेन्द्र सिंह	0193020650	
11	"	मदन सिंह	9917650219	

प्रधान
ग्राम पंचायत हरबगड़
वि०ख० गरुड (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत थाकला
पो०-बन्तोली
वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत काननदुर्ग
वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)


सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर


में कि मोहन-चन्द्र पुत्री की स्वयं पुरस्कोत्तम, ग्राम - मिलारकोट
 पो - बन्तोली, वि० ख० - गरुड, नदरील - गरुड, जनपद - बागेश्वर
 का स्थायी निवासी हैं। जसल पूर्व माध्यमिक विद्यालय -
 मिलारकोट के पास गरुड, नदी में पुल का निर्माण हो
 रहा है। इसमें पुल का फिल्लर (खम्भ) मेरी भूमि में आ रहा
 है, नाप भूमि होने पर विभागीय नियमानुसार मुझे मुवाजफ
 दिया जाय,


गवाह


1 - भुवन चन्द्र सिंह

मोहन-चन्द्र पुत्री
 मोहन-चन्द्र पुत्री
 की पुरस्कोत्तम सुती
 ग्राम - मिलारकोट
 पो - बन्तोली
 वि० ख० - गरुड
 जनपद - बागेश्वर


 प्रधान
 ग्राम पंचायत थाकुरा
 पो०-बन्तोली
 वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)


 पञ्चायतप्रापक
 जलता पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिलारकोट
 गरुड जिला बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

लिखनेवाले 
 की सुन्दर गिरी, ग्राम - कोटिना


 प्रधान
 ग्राम पंचायत थाकुरा
 पो०-बन्तोली
 वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)

भाग संख्या 15-08-2018 को जनता सर्व मां विद्यालय
विद्यालय मिलारकोट, वि०ख०-गरुड, जमात-बागेश्वर
में स्वतंत्रता दिवस के धूम-धाम व हर्षोल्लास के
साथ मनाया गया, यहाँ जहाँ विद्यालय प्रबंधक
समिति के अध्यक्ष व प्रबंधक तथा विद्यालय के
श्री शम्भू वन कान्हाल, श्री देवीवन पाठक तथा श्री
गणेश देव द्वारा सयुक्त रूप से झंडारोह
किया गया, सभी लोगों ने झंडारोह समारोह
में विद्यालय के छात्र/छात्राओं के साथ भाग लिया,
72 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के झंडारोह
के बाद विद्यालय के प्रबन्धक श्री देवीवन पाठक
जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सभी
मेत्रोसियों तथा विद्यालय परिवार को सम्बोधित
किया, इसके उपरान्त सूर्योदय वन्दना के साथ
72 वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की शुरुवात हुई
जन्मों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की
प्रस्तुति की, जिसमें देश भक्ति, लोकगीत तथा
नाटकों की प्रस्तुति रही, कार्यक्रमों के बीच
बीच में गाना गाना जन्मों द्वारा अपनी बात जन्मों
के बीच पहुँचाई, विद्यालय के प्रबन्धक श्री देवीवन
पाठक जी द्वारा विद्यालय के गुरु पुत्र जन्मों हेतु प्रस्ताव
रखा गया, पुत्र जो कोड़े, रोराड़ी, धाकला, धिरलोली
के लोगों एवं जन्मों हेतु भावपूर्ण है, जो इन
गुरु को विद्यालय से जोड़ती है, इस प्रस्ताव का
समर्थन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से किया
पुत्र जन्मों एवं अग्रिम मार्गदर्श हेतु प्रबन्धक श्री
को शीघ्र कार्यवाही करने को कहा,
— जन्म में निवृत्त एवं परिवर्तित निवृत्त
72 वें स्वतंत्रता दिवस के सम्मान की घोषणा
सभी अध्यक्ष द्वारा की गयी,

[Signature]

जनता सर्व माध्यमिक विद्यालय
मिलारकोट, वि० ख०-गरुड, जमात-बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत थाकला
पो0-बन्तोली
वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर
प्रधान
ग्राम पंचायत थाकला
पो०-बन्तोली
वि०ख०-गरुड (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गरुड

उपखण्ड गरुड परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.018 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात् कुल 0.018 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित-जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड) की दिनांक 22/06/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड) की दिनांक 22/06/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जयवर्धन शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जयवर्धन शर्मा उपजिलाधिकारी गरुड
2- श्री बलवन्त सिंह शाही उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
3- श्री गिरिश शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर सदस्य / सचिव
4- श्री क्षीमती मेन्गू सोनी बी0डी0सी0 क्षेत्र बागेश्वर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने 40मी0 स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


सहायक जिलाधिकारी
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील गरुड

जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील गरुड

जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.2


जिला स्तरीय और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. जिलाधिकारी, बागेश्वर | — | अध्यक्ष |
| 2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर | — | सदस्य |
| 3. जिला पंचायत सदस्य | — | सदस्य |
| 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी | — | सदस्य/सचिव |

आज दिनांक 08/08/2019 को जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 22/06/19 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलाधिकारी वनाधिकारी समिति जनपद बागेश्वर के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत भितारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी0 स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला पंचायत सदस्य

शिवसिंह बिहारी

बागेश्वर

अध्यक्ष

जिला पंचायत बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग

बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी

बागेश्वर

जिलाधिकारी

बागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)


Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrsmt. Ranjana Raj. Gura I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 08/08/2019..at time 3.00.. pm at Bageshwar in which application claiming rights in area measuring **0.018** hect for the **Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 8/8/19


जिलाधिकारी
District Level Committee